अवतार सिंह आदि **बनाम** चरण सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 28 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/49

| तामिल हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19.03.2021 को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी व्यादेश दिनांक 19.03.2021 बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। | |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)